कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर।

संख्या : 123/XV   दिनांक : 07–05–2020

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1091/iv-CPC/e-Courts/ Allahabad/Dated 05 मई, 2020 के माध्यम से जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर जनपद गाजीपुर के दीवानी न्यायालय दिनांक 08–05–2020 से खोलने हेतु दिशा–निर्देश दिये गये हैं। उक्त के परिप्रेक्ष्य में एक आवश्यक बैठक दिनांक 07–05–2020 को जनपद न्यायालय, गाजीपुर के दसकक्षीय भवन स्थित सभागार में सम्पन्न हुई।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त पत्रांक में दिये गये निर्देश के अनुकम में बैठक में उपस्थित मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर द्वारा सूचित किया गया कि जनपद गाजीपुर को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आरेंज जोन में रखा गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करने के पश्चात एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, गाजीपुर स्थित निम्नलिखित न्यायालय दिनांक 08–05–2020 से संचालित होंगे :–

1– न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर।

2– न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर।

3– न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एससी/ एसटी एक्ट, गाजीपुर।

4– न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, ई0सी0एक्ट, गाजीपुर।

5– न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पाक्सो न्यायालय कोर्ट संख्या–01, गाजीपुर।

6– न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पाक्सो न्यायालय कोर्ट संख्या–02, गाजीपुर।

7– न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पाक्सो न्यायालय कोर्ट संख्या–03, गाजीपुर।

8– न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजीपुर।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजीपुर को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त अवधि में अपने न्यायालय में कार्य की अधिकता को देखते हुए यदि आवश्यक समझें तो वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट को विधिनुसार कार्य आवंटन कर सकते हैं।

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के अनुक्रम में इस आदेश एवं माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत पत्र/दिशा–निर्देशों की प्रति इस अधिष्ठान के सभी न्यायिक अधिकारीगण के मध्य अनुपालन हेतु परिचालित किया जाए तथा तद्नुसार अधिष्ठान के सभी कर्मचारीगण अनुपालन हेतु सूचित हों। सभी पीठासीन अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह कोविड–19 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च

Scanned with CamScanner

न्यायालय द्वारा न्यायिक पक्ष में निर्गत निर्देशों तथा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी समस्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं कोर्ट मैनेजर को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रभारी अधिकारी (प्रशासन) एवं प्रभारी अधिकारी (नजारत) के माध्यम से इस आशय की आख्या अविलम्ब प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें कि उपरोक्त संचालित न्यायालयों में नियुक्त/कार्यरत कर्मचारियों की संख्या माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित दस प्रतिशत की संख्या के अनुरूप ही हो।

माननीय न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में उपरोक्त संचालित न्यायालयों द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान केवल निम्नलिखित वादों/ प्रार्थनापत्रों पर ही विचार किया जाएगा :–

1– लम्बित/नवीन जमानत प्रार्थनापत्र,

2– लम्बित/नवीन अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र,

3– विचाराधीन बंदियों से संबंधित न्यायिक कार्य/रिमाण्ड वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। यदि कोई तकनीकी समस्या उत्पन्न होगी तो अन्य विकल्प के माध्यम से उक्त कार्य संपादित किये जाएगा। वर्तमान में उक्त कार्य को संपादित किये जाने हेतु अधिष्ठान के कुल 02 न्यायिक अधिकारीगण को नामित किया गया है, जिनके द्वारा अग्रिम आदेश तक पूर्ववत कार्य सम्पादित किये जाते रहेंगे।

4– लम्बित आदेश/निर्णय, यदि कोई हो, जिनमें बहस पूर्व में पूर्ण हो चुकी है, पारित किये जा सकते हैं,

5– अन्य कार्यालय संबंधी लम्बित कार्य,

6– अन्य प्रशासनिक कार्य, जिला न्यायाधीश कार्यालय के निर्देशानुसार

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सिस्टम आफिसर द्वारा जनपद न्यायालय, गाजीपुर अधिष्ठान हेतु एक अधिकृत ई–मेल ghazipurfilling@gmail.com तैयार किया गया है। उक्त ई–मेल आई0डी0 का प्रयोग जमानत/ अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र व अन्य जमानत प्रार्थनापत्र मय लिखित बहस प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। ऐसे सभी प्रार्थनापत्र पर सम्बन्धित अधिवक्ता/ वादकारियों का पूर्ण विवरण मय मोबाईल नंबर उल्लिखित होना आवश्यक होगा। उपरोक्त प्रकार से प्राप्त सभी वादों/प्रार्थनापत्रों को कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा सी0आई0एस0 साफ्टवेयर पर पंजीकृत किया जाएगा। इस सन्दर्भ में सिस्टम आफिसर/कोर्ट मैनेजर को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त ई–मेल आई0डी0 को अविलम्ब जनपद न्यायालय, गाजीपुर के वेवसाइट पर व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

केवल आवश्यक प्रकृति के प्रार्थनापत्रों को ही सी0आई0एस0 काजलिस्ट में नियत किया जाएगा। अन्य वादों में नियमानुसार सामान्य तिथियॉ नियत की जाएगी। पूर्व में पारित प्रकीर्ण आदेश के माध्यम से अधिष्ठान स्थित समस्त न्यायालयों के सन्दर्भ में तृतीय चरण के लाकडाउन की अवधि दिनांक 17–05–2020 तक की तिथि तक नियत वादों में सामान्य तिथियॉ निर्धारित की गयी हैं। उक्त निर्धारित सामान्य तिथियॉ समस्त न्यायालयों के

Scanned with CamScanner

साथ–साथ उपरोक्त न्यायालयों के परिप्रेक्ष्य में भी प्रभावी रहेंगी। यदि उपरोक्त संचालित न्यायालयों के सन्दर्भ में किसी ऐसे विचाराधीन वाद, जो निर्णय/आदेश के स्तर पर लम्बित हैं, के सन्दर्भ में कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त होता है अथवा निर्णय पारित किये जाने की आवश्यकता न्यायालय समझती है तो ऐसे वादों में संबंधित न्यायालय अपने विवेक के अनुसार दिनांक 08–05–2020 से दिनांक 17–05–2020 की अवधि के मध्य तक नियत प्रश्नगत वाद को नियमानुसार रिकाल कर अग्रिम कार्यवाही कर सकती है।

माननीय उच्च न्यायालय के अग्रिम निर्देशानुसार जनपद न्यायालय, गाजीपुर अधिष्ठान हेतु हेल्पलाईन नंबर 0548–2220218 घोषित किया गया है, जिसका प्रयोग उपरोक्त न्यायालयों के संचालन हेतु जानकारी प्राप्त करने हेतु किया जा सकता है। सिस्टम आफिसर/कोर्ट मैनेजर को निर्देशित किया जाता है कि वह इस हेल्पलाईन नंबर को जनपद न्यायालय, गाजीपुर के वेवसाईट पर व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

अधिष्ठान में माननीय न्यायालय के मंशा के अनुरूप न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजीपुर के पूरब स्थित न्यायालय कक्ष, कोर्ट नंबर–09 को वर्चुअल कोर्ट रूम के रूप में स्थापित किया गया है। इस सम्बन्ध में संबंधित न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त प्रकार से ही न्यायिक कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करें। यदि कोई बाधा आती है तो अपने न्यायालय में पूरे सावधानी के साथ सुनवाई के विकल्प का प्रयोग, आवश्यक हो तो, कर सकते हैं।

इसके साथ ही नोडल आफिसर/प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त माध्यम से वादों/ प्रार्थनापत्रों की सुनवाई किये जाने हेतु उपरोक्त न्यायालयों के सन्दर्भ में आवश्यक टाईम–स्लाट निर्धारित कर इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु शीघ्रातिशीघ्र अवगत करावें जिससे उक्त सन्दर्भ में यथोचित निर्णय लिया जा सके।

माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार केवल उन्हीं सम्मानित अधिवक्तागण को न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी, विशेष रूप से वर्चुअल कोर्टरूम में, जिनके वाद प्रश्नगत तिथि को उपरोक्त न्यायालयों में नियत हों। वादकारी एवं अन्य प्रतिनिधिगण का न्यायालय परिसर में प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार उपरोक्त न्यायालयों के सुचारू रूप से संचालन में सम्मानित अधिवक्तागण के सहयोग हेतु बार एसोसियेशन, गाजीपुर को सूचित किया जाए।

सिस्टम आफिसर/कोर्ट मैनेजर इस आदेश को जनपद न्यायालय, गाजीपुर के वेवसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही आदेश की एक प्रति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाए कि वह न्यायालयों के संचालन की उपरोक्त व्यवस्था को स्थानीय अधिकृत मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें तथा कृत कार्यवाही से प्रशासनिक कार्यालय को अवगत करावें।

उपरोक्त सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने–अपने न्यायालयों द्वारा कृत कार्य/निस्तारित प्रार्थनापत्रों की संख्या को प्रत्येक कार्यदिवस को सायें 04–30 बजे तक प्रशासनिक कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे जिससे कि वांछित सूचना माननीय उच्च न्यायालय को निर्धारित समयावधि में प्रेषित किया जा सके।

Scanned with CamScanner

अधिष्ठान में कोविड–19 से संबंधित गठित समिति को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जनपद न्यायालय, गाजीपुर अधिष्ठान के न्यायालय/कार्यालय एवं सम्पूर्ण न्यायालय परिसर का न्यायालय संचालित होने के पूर्व एवं उसके पश्चात की अवधि में दैनिक रूप से पूर्ण सेनिटाइजेशन एवं साफ–सफाई कराये जाने एवं परिसर में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों का थर्मल स्केनिंग परीक्षण कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर से भी किया जाना सुनिश्चित करें।

केन्द्रीय नाजिर को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में आवश्यक व्यवस्थायें उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले सभी सम्मानित अधिवक्तागण, कर्मचारीगण एवं अन्य व्यक्तियों, को **मास्क** आवश्यक रूप से लगाना होगा, **सेनिटाईजर** का प्रयोग करना तथा **सोशल डिस्टेंसिंग** का भी अनुपालन करना आवश्यक होगा।

न्यायालय का समय प्रातः 10–30 बजे से अपरॉह 4–30 बजे तक तथा कार्यालय का समय प्रातः 10–00 बजे से अपरॉह 5–00 बजे तक होगा।

आदेश की प्रतिलिपि जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर, पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर, बार एसोसियेशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाए।

सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाए।

Raghvendra 7/5/20

(राघवेन्द्र)
जनपद न्यायाधीश,
गाजीपुर।

दिनॉक : 07–05–2020

Scanned with CamScanner